न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 78 / 2025

श्री जाकिर पुत्र अब्दुल हफीज निवासी हाजी कॉलानी बम्बोर रोड गली नं. 2 अन्नपूर्णा टोंक
--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 16.10.2025

प्रकरण का संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 29.07.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 750 दिनाक 1.08.2025 से लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

SDM कार्यालय टोंक में OBC के जाति प्रमाण पत्रों का रिकार्ड किस माह और वर्ष से संधारित किया जा रहा है और इससे पहले किस कार्यालय में संधारित किए जाते थे OBC के जाति प्रमाण पत्रों के लिए किस वर्ष से टोकन नम्बर जारी किए जा रहे है OBC के जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रकिर्या क्या हे विवरण सहित बताए उक्त सूचना SDM कार्यालय टोंक से चाही गई थी सूचना प्राप्त करने के लिए प्रार्थी ने उक्त कार्यालय के कई चक्कर लगाये किन्तु सूचना नही दी गई 30 दिवस का समय पूर्ण होने पर प्रथम अपील स्वीकार करे लोक सुचना अधिकरी हुकुमीचंद रोहलानिया के विरूद्ध अर्थ दण्ड लगाया जाए और सूचना निशुल्क दिलाने की कृपा करे

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को पत्र कमांक 1746 दिनांक 01.09.2025, 1815 दिनांक 15.09.2025 व 1938 दिनांक 3.10.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट दिनांक 15.09.2025 को उपस्थित हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की

730

जिला कलेक्टर
टोंक

जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर सूचनां लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति सूचनां लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)